न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 244 / 2015

दायर तिथि :— 12.06.2018

निर्णय दिनांक :— 11.05.2018

वादीगण :—

1. अणसी बेवा जालाराम
2. बाबुलाल पुत्र जालाराम
3. रूपाराम पुत्र जालाराम
4. सवाराम पुत्र जालाराम
   तमाम जातिगण—राईका निवासीगण—घाणेराव
   तहसील—देसूरी जिला—पाली राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :—

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :—

1. तहसीलदार देसूरी— प्रतिवादी।

निर्णय दिनांक :— 11.05.2018

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :—

सरहद मौजा घाणेराव में स्थित कृषि भूमि गत ख.सं. 791 मी. रकबा 4 बीघा किस्म बा.दो. भूमि वादीगण के पिता / पति जालाराम ने वरदीचन्द उर्फ वरदाजी पुत्र केसाजी जाति दर्जी निवासी घाणेराव से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29.04.1983 को खरीदी थी। तब से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है। एव उक्त गत खसरा नम्बर 791 मी. से कायम हुये नये खसरा नम्बर 3392 रकबा 0. 9700 हेक्टर बने है। उक्त नये खसरा नम्बर 3392 में से चार बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसक प्रमाण स्वरूप विक्रय विलेख दिनांक 29.04.1983 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रतिलिपियां वादपत्र के साथ सलग्न प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी ने वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया।

बतौर साक्ष्य वादी सवाराम पी.डब्ल्यू 1 एवं गवाह सांवताराम पी.डब्ल्यू 2 ने अपने—अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनका परीक्षण किया गया। बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादी की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.04.1983 की प्रति प्रदर्श—1 तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस की फोटो प्रतियां प्रदश 3, 5(A) नवीन नक्से की नकल प्रदर्श 10 नवीन जमाबन्दी की नकल प्रदर्श 11 मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श 11 प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत जबाब एव साक्ष्यो के अनुरूप कयाम वाद बिन्दु निम्नानुसार निर्मित किया जाता है :—

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

वाद बिन्दु संख्या 1

आया मौजा घाणेराव पटवार हल्का घाणेराव तहसील देसूरी मे स्थित आराजी कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 3392 रकबा 0.9400 हैक्टर किस्म बा.दो. मे से 0.6400

हैक्टर (चार बीघा) : भूमि वादीगण कि कब्जा कास्त सुदा है। जो वादीगण कि खातेदारी घोषित कि जावे। जिम्मे वादीगण

पत्रावली उपलब्ध रेकोर्ड तथा बन्दोबस्त से पूर्व रेकोर्ड का भी अवलोकन किया। बन्दोबस्त के पूर्व रेकोर्ड मे वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 791 मी. खतोनी जमाबन्दी संवत 2026 से 2029, 2030–2033, 2034–2037 के अवलोकन से यह जाहिर है कि गत रेकार्ड में वादीगण के स्व. पिता जाला को जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 29.04.1983 प्रदर्श–1, के विक्रेता वरदीचन्द उर्फ वरदा पुत्र केसा कौम दर्जी निवासी घाणेराव के नाम अथवा वादीगण के पिता के नाम कोई खातेदारी दर्ज नहीं है अपितु हाल खसरा संख्या 3392 सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज है। गत रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि गत ख.सं. 791 मी. न तो विक्रेता वरदा एवं न ही वादीगण के स्व. पिता जाला केता के नाम की कोई खातेदारी अथवा गैर खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं रही है। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से नवीन बन्दोवस्त से पूर्व वादग्रस्त भूमि गत ख.सं. 791 मी. केता जाला अथवा विक्रेता वरदा के नाम खातेदारी अथवा गैर खातेदारी दर्ज होने अथवा वादग्रस्त भूमि बन्दोवस्त से पूर्व विक्रेता वरदीचन्द उर्फ वरदा को आवंटन अथवा नियमन होने संबंधी कोई अभिलेखीय साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं है। मात्र पंजीकृत विकय पत्र प्रदर्श–1 के आधार पर बन्दोवस्त से पूर्व विक्रेता वरदीचन्द उर्फ वरदा की खातदेरी माना जाना कतई न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 2 :– अनुतोष

उपरोक्त विवेचन एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार वादी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। डिकी परचा मुर्तिब हो । खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
शिविर – घाणेराव

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादीगण :–

1. अणसी बेवा जालाराम
2. बाबुलाल पुत्र जालाराम
3. रूपाराम पुत्र जालाराम
4. सवाराम पुत्र जालाराम
   तमाम जातिगण–राईका निवासीगण–घाणेराव
   तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबतः– 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 244/2015

निर्णय दिनांक :– **11.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी अधिवक्ता अनुपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **भूमिधारी तहसीलदार देसूरी** में इस वाद में आज तारीख **11.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
देसूरी